अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या 301/2012

रामदेव मंडल --- अपीलार्थी

वनाम

कुलदीप प्रसाद जयसवाल एवं अन्य --- रेस्पाण्डेन्ट्स/विपक्षीगण

–:आदेश:–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी के द्वारा भुमि सुधार उप–समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज के आदेश दिनांकः 08.05.2012 ई० अंदर वाद संख्या–254/11–12 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख पर संधारित उभय पक्षों के सभी कागजात का सुक्ष्म अध्ययन किया।

प्रस्तुत अपील वाद में विवादी भूमि अन्दर मौजा– अरजपुर थाना नं0 100 अंचल चौसा खाता– 500 खेसरा–96 रकबा 17 डीसमल उत्तर–परमानंद सिंह, दक्षिण– बिन्देश्वरी मंडल,, पूरब– बिलक्षण मंडल, पश्चिम–नीज अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के कम में कथन करते है कि प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी/वादी ने केवाला डीड संख्या 2894 दिनांक 25.05.04 और केवाला डीड संख्या 4931 दिनांक 18.08.2010 द्वारा प्राप्त किया है। विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी को उपरोक्त केवाला डीड संख्या 2894 वर्श 2004 के द्वारा विवादी खेसरा 96 के रकबा 7 डी0 के अलावे दीगर भूमि अपीलार्थी को प्राप्त है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कमि में यह भी कथन करते है कि हाल सर्वे खतियान खाता 500 संयुक्त रूप से यमुना सिंह वो प्रीतम सिंह दोनों पिता स्व0 बालदेव सिंह के नाम दर्ज हे जिसमें खेसरा 96 का रकबा 20 डी0 है जिसमें दोनों का बराबर हिस्सा है। खतियानी रैयत प्रीतम सिंह ने अपने खास हिस्से की भूमि विभिन्न खेसराओं से जिसमें खेसरा संख्या 96 का 7 डी0 भूमि भी है उसे सीताराम मंडल के हाथ बेचा। सीताराम मंडल ने उक्त खरीदगी भूमि खेसरा 91, 92, 93 और 96 से 6 कट्ठा भूमि

जिसमें खेसरा 96 से 7 डी0 भूमि अपीलार्थी के हाथ बिकी कर दिया। आगे यह भी कथन करते है कि अपीलार्थी ने उपरोक्त 6 कट्ठा बराबर 26 डी0 भूमि रेस्पो0 नं0–1 कुलदीप प्रसाद जयसवाल के हाथ रजिस्ट्री केवाला द्वारा बेंच दिया । कुछ समय पश्चात रेस्पोनडेन्ट नं0–1 ने उपरोक्त भूमि रकबा 6 कट्ठा बराबर 26.5 अपीलार्थी के हाथ केवाला डीड नं0 2894 वर्ष 2004 के द्वारा बिकी कर दिया। आगे यह भी कथन करते है कि खतियानी रैयत यमुना सिंह के पोते प्रमोद सिंह ने अपीलार्थी से अपनी भूमि खेसरा 96 को बेचने की इच्छा से सम्पर्क कर संपूर्ण रकबा 20 डी0 जो उसके खास हिस्से की एराजी थी उसने अपीलार्थी के हाथ 19.5 डी0 भूमि बिकी कर दिया। अपीलार्थी खेसरा 96 के खरीदगी संपूर्ण रकबा पर शांतिपूर्ण हकदार वो दखलकार चले आ रहे थे किन्तु रेस्पोण्डेन्ट नं0 2 से 6 खेसरा 96 की भूमि पर अपीलार्थी के शांतिपूर्ण दखल में व्यवधान पैदा करने लगा जिस वजह से एक वाद संख्या 01/2011–12 अन्दर दफा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत अपीलार्थी/वादी ने दाखिल किया जिसमें रेस्पो0–2 उपस्थित होकर न्यायालय में अपने प्रतिउत्तर के माध्यम से विवादी भूमि से किसी भी प्रकार का सरोकार होने से इन्कार किया तथा उक्त वाद में अपीलार्थी/वादी का दावा सही पाकर अपीलार्थी/वादी के पक्ष में न्यायोचित आदेश पारित हुआ। उक्त आदेश के पश्चात भी रेस्पोण्डेन्ट 2 से 6 अचलाधिकारी और थानाध्यक्ष, चौसा को अपने प्रभाव में ले आने के कारण अपीलार्थी की भूमि खेसरा 96 पर दस्तन्दाजी वो बलपूर्वक दखल की चेष्टा करते ही रहा जिस वजह से अपीलार्थी/वादी को अपनी भूमि पर दखल प्राप्त करने हेतु पुनः वाद दायर कर न्यायालय की शरण में जाना पड़ा जिसका वाद संख्या 254/11–12 है किन्तु विद्वान भूमि उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज वस्तुस्थिति पर बिना विचार किये ही वो अपने पूर्व के आदेश पालन करवाने के वजाय नाजायज रूप से पुनर्विलोकन का मामला बताकर बिल्कुल ही विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिये जो सरासर गैरकानूनी, असंगत वो नाजायज है। यह Review का मामला नहीं होकर न्यायालय की अवमानना का मामला बनता है।

रेस्पोण्डेन्ट्स के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के क्रम में कथन करते है कि अपीलार्थी के द्वारा अपने अपील आवेदन, निम्न न्यायालय के वाद संख्या 254/11–12 एवं 01/11–12 में स्वयं स्वीकार करते है कि वे नया खेसरा संख्या 96 में कय किये गये भूमि पर स्वयं दखलकार नहीं थे एवं उन्हें नया खेसरा संख्या 93 के लिए धमकी दी जाती रही है। इस प्रकार निबंधित केवाला दस्तावेज संख्या 4931 दिनांक 18.08.2010 एवं केबाला संख्या 5109 दिनांक 24.09.2010 से यह स्पष्ट होता है कि वे कभी भी दखलकार नहीं हुए अतएवं भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत उन्हें वाद दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है। स्वीकार योग्य तथ्य यह है कि खाता संख्या 427 एवं 500 अन्तर्गत नया खेसरा संख्या 93 एवं 94 खेसरा प्रीतम सिंह एवं अन्य से संबंधित है बाद में प्रीतम सिंह अपने पीछे अपने पांच पुत्र क्रमशः दयानन्द सिंह, सदानन्द सिंह, महानन्द सिंह, परमानन्द सिंह एवं पंचानन्द सिंह को पीछे छोड़ गुजर गये । इसी प्रकार उनके सहोदर भाई यमुना सिंह अपने पीछे तीन पुत्र क्रमशः विन्देश्वरी उर्फ छेदी सिंह, महेश्वरी सिंह एवं सुरेश सिंह को पीछे छोड़ गुजर गये। विन्देश्वरी सिंह उर्फ छेदी सिंह अपने दो पुत्रों आमोद सिंह एवं प्रमोद सिंह को पीछे छोड़ गुजर गये ।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि पद्मानन्द सिंह एवं पंचानन्द सिंह पिता प्रीतम सिंह द्वारा नया खेसरा संख्या 91, 92 93 एवं 96 का कुल रकबा 14 कट्ठा भूमि निबंधित केबाला दस्तावेज संख्या 2979 दिनाक 07.05.83 के द्वारा सीताराम मंडल पिता सुकल मंडल को बिकी कर दिया। सीताराम मंडल पिता सुकल मंडल द्वारा उक्त जमीन में से 7 कट्ठा भूमि अपीलार्थी राम देव मंडल को एवं शेष 7 कट्ठा भूमि रेस्पोण्डेन्ट संख्या–1 कुलदीप प्रसाद जयसवाल को बिकी कर दिया गया वो बाद खरीदगी के कुलदीप प्रसाद जयसवाल रैयत भूमि पर दखलकार हुए एवं उन्होंने रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष चन्देश्वरी मंडल एवं अन्य को उक्त भूमि बटाईदारी में दे दी। वर्ष 1990 से रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष रैयती भूमि अंतर्गत खेसरा संख्या 500 पर दखलकार हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि

आमोद कुमार सिंह पिता विन्देश्वरी प्रसाद सिंह उर्फ छेदी सिंह जिन्हे पारिवारिक बंटवारे में खेसरा संख्या 93 की 30 डीसमल भूमि निजी हिस्से में प्राप्त हुयी को उनके द्वारा खेसरा संख्या 93 की भूमि निबंधित बिकी दस्तावेज संख्या 4979 दिनांक 19.08.2010 के माध्यम से रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष चन्देश्वरी मंडल एवं अन्य को बिकी कर दिया गया तदुपरांत उनके द्वारा बिहार सरकार सिरिस्ता में अपना नाम दर्ज कराया गया एवं मालगुजारी का भुगतान किया जाने लगा। इस प्रकार नया खेसरा संख्या 96 की भूमि रेस्पोण्डेन्ट प्रथम पक्ष के स्वत्व एवं स्वामित्व में है एवं नया खेसरा संख्या 93 रेस्पोण्डन्ट द्वितीय पक्ष के स्वत्व एवं स्वामित्व में है एवं दोनों नया खेसरा संख्या 93 एवं 96 पर शांति पूर्ण दखलकार चले आ रहे हैं। आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी राम देव मंडल ने भूमि विवाद निराकरण अधिनियम अन्तर्गत नया खेसरा संख्या 93 की 15 डी0 भूमि एवं खेसरा संख्या 96 की 19.5 डी0 भूमि हेतु वाद संख्या 01/11–12 रामदेव मंडल बनाम चन्देश्वरी मण्डल 4 अन्य दायर किया गया । विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि खेसरा संख्या 93 का सम्पूर्ण रकबा 30 डी0 भूमि रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष द्वारा निबंधित बिकय पत्र संख्या 4979 दिनांक 19.08.2010 के द्वारा क्रय किया गया था एवं रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष के खरीदगी के एक माह के उपरांत अपीलार्थी के द्वारा उसी खेसरा की भूमि निबंधित बिकय पत्र संख्या 4931 दिनांक 24.09.2010 के द्वारा क्रय किया गया। इस विन्दु पर बिचार नहीं किया गया था कि आमोद सिंह को खेसरा संख्या 93 की 30 डी0 भूमि की बिकी का अधिकार नहीं है एवं दिनाक 19.08.2010 का निबंधित बिकी दस्तावेज गलत है तो इस मामले को सक्षम व्यवहार न्यायालय में ले जाने हेतु निदेशित किया जाना चाहिए था। अपीलार्थी राम देव मंडल द्वारा खेसरा संख्या 93 एवं 96 पर दावा करते हुए वाद संख्या 01/11–12 दायर किया गया एवं निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी रामदेव मंडल के पक्ष में आदेश पारित किया गया। आगे यह भी कथन करते है कि चन्देश्वरी मंडल रेस्पोण्डेन्ट संख्या –2 द्वारा विज्ञ आयुक्त न्यायालय में अपील वाद संख्या 06/12 दायर किया गया जिसे तत्कालीन आयुक्त महोदय द्वारा खारिज कर दिया गया । अपीलार्थी द्वारा अकारण ही उसी खेसरा से संबंधित वाद संख्या 254/11–12 रामदेव मंडल बनाम कुलदीप प्रसाद जयसवाल अन्य 5 दायर किया गया जिसे निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.12 को खारिज कर दिया गया।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि –

1. विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 254/11–12 में दिनांक 08.05.12 में अंकित है कि पूर्व में भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 01/11–12 चला था, जिसमें प्रश्नगत खेसरा भी था और उसे निष्पादित किया जा चुका है। पुनः उसी जमीन के लिये इस वाद में विचारण किया जाना, उसी विषयवस्तु का पुनर्विलोकन की श्रेणी में आ जायगा जिसके लिये यह न्यायालय सक्षम न्यायालय नहीं है।

2. इस न्यायालय में दायर भूमि विवाद अपील वाद संख्या 06/12 चन्देश्वरी मंडल एवं अन्य बनाम रामदेव मंडल अस्वीकृत किया जा चुका है।"

निम्न न्यायालय द्वारा मामले का विस्तृत एवं सम्यक विवेचना करते हुए न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अस्तु अपील वाद अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा